

न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)  
श्रृंखला न्यायालय बैहर  
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

**नियमित व्यवहार अपील क्र.- 15/2017**

Filing No-. R.C.A./146/2017

संस्थित दिनांक -03.10.2016

- 1- लखनसिंह आयु 55 वर्ष पिता स्व. अंजोरीसिंह जाति गोंड
  - 2- सम्मलसिंह आयु 26 वर्ष पिता लखनसिंह जाति गोंड
  - 3- समलुसिंह आयु 23 वर्ष पिता लखनसिंह जाति गोंड
- सभी निवासी-ग्राम पंडरीपथरा तहसील बिरसा  
जिला बालाघाट - - - - - अपीलार्थीगण

- / / विरुद्ध / / -

- 1- जोरीसिंह आयु 32 वर्ष पिता स्व. सुखलाल जाति गोंड
  - 2- नोहरीसिंह आयु 30 वर्ष पिता स्व. सुखलाल जाति गोंड
- दोनों निवासी-ग्राम पंडरीपथरा तहसील बिरसा जिला बालाघाट
- 3- म0प्र0 शासन द्वारा :-  
कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)- - - - उत्तरवादीगण

=====

{न्यायालय: व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 बैहर तत्कालीन  
पीठासीन अधिकारी श्री कैलाश शुक्ल द्वारा व्य.वाद  
क्रमांक 127ए/2016 जोहरीसिंह वगैरह बनाम लखनसिंह  
वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2016 से  
क्षुब्धहोकर धारा 96 व्य.प्र.सं. के तहत अपील पेश की है}

=====

=====

श्री आर.के. पाठक अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री आर.आर. पटले अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक-1, 2

उत्तरवादी क्रमांक 3 अनुपस्थित।

=====

- / / / निर्णय / / / -

(आज दिनांक 06 जुलाई 2017 को घोषित)

1. अपीलार्थी ने यह नियमित व्यवहार अपील न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर जिला बालाघाट तत्कालीन पीठासीन अधिकारी {श्री कैलाश शुक्ल} द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 127ए/2016, जोहरीसिंह वगैरह

## 2 नियमित व्य.अपील.क. 15/2017

बनाम लखनसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2016 से परिवेदित होकर यह नियमित अपील पेश की है।

2. स्वीकृत तथ्य यह है कि पक्षकारगण ग्राम पण्डरीपत्थरा तहसील बिरसा जिला बालाघाट के निवासी होकर एक ही परिवार से संबंधित है। विवादित भूमि पर राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम दर्ज है।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद का सार यह है कि मौजा पण्डरीपत्थरा, प.ह.न. 38/40, तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 49/6 एवं 51/7 रकबा 1.254 हेक्टे. भूमि स्थित है। अंजोरसिंह उर्फ हमेलसिंह की पत्नी बैसाखीबाई थी जिनके पुत्र मृत सुखलाल तथा लखनसिंह प्रति.क्र. 1 है। सुखलाल के पुत्र जोहरीसिंह वादी क्र. 1, नोहरीसिंह वा.क्र. 2 है। लखनसिंह प्रति.क्र. 1 के पुत्र सम्मलसिंह प्रति.क्र. 2 तथा समरुसिंह प्रति.क्र. 3 है। अजोरीसिंह उर्फ हमेलसिंह ने वादभूमि को बनाया था। बैसाखीबाई की फौती दाखला पश्चात् दिनांक 01.07.1997 को 7 एकड़ भूमि पर सुखलाल और लखनसिंह का नाम दर्ज हुआ। वे शामिल शरीक कास्त करते थे। संशोधन क्रमांक 1-क दिनांक 14.07.2003 के अनुसार वादभूमि का विभाजन दो भागों में हो गया।

4. वादग्रस्त भूमि सुखलाल के नाम दर्ज थी, फौती दाखला पश्चात् संशोधन क्रमांक 3 दिनांक 05.07.2012 से वादीगण का नाम दर्ज हुआ। वे मालिक होकर काबिज चले आ रहे हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि पर बिना किसी हक अधिकार के दिनांक 28.06.2014 को प्रतिवादीगण ने दखल देते हुए जान से खत्म करने की धमकी दी। हल, बैल लेकर धान बोकर कब्जा कर लिया, मना करने पर अश्लील गालियां दी और खेत में ही मारकर गाड़ देने की धमकी दी। वादभूमि खानदानी होने से वादीगण को स्वत्व प्राप्त है, इसलिए घोषणा किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण ने अवैधानिक रूप से बेदखल कर दिया है, इसलिए वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वाद कारण दिनांक 28.06.14 को उत्पन्न हुआ। घोषणा हेतु 2000/-रु, कब्जा हेतु लगान का बीस गुना 13/-रु. मूल्यांकन कर 600/- न्यायशुल्क अदा की गई, न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता है, वाद स्वीकार कर डिक्री किए जाने की याचना की है।

5. वादोत्तर एवं प्रतिदावा पेश कर दोनों प्रतिवादी ने स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादपत्र के संपूर्ण अभिवचनों को जो कंडिका क्रमांक 3 लगायत

15 में लेख है, को पदवार असत्य होने से, गलत होने से अस्वीकार होना लेख करते हुए प्रतिदावा में अभिवचन करते हुए लेख किया है कि मूल पुरुष बढई था जिसके 2 पुत्र अजोरसिंह फौत, हमेलसिंह फौत थे। हमेलसिंह की पत्नी महारिनबाई थी। हमेलसिंह और महारिनबाई निःसंतान फौत हो गए। अजोरसिंह फौत की पत्नी सनियारुबाई फौत तथा बैसाखिनबाई फौत थी। सनियारुबाई का पुत्र सुखलाल फौत है। सुखलाल के 2 पुत्र जोहरीसिंह वादी क. 1 तथा नोहरीसिंह वा.क. 2 है। बैसाखिनबाई फौत का पुत्र लखनसिंह प्रति.क. 1 है। लखनसिंह के पुत्र सम्मलसिंह प्रति.क. 2 तथा समरुसिंह प्रति.क. 3 है।

6. प्रतिदावे में यह भी लेख है कि प्रति.क. 1 लखनसिंह जब 2 वर्ष का था तब अजोरसिंह पहली पत्नी सरियारुबाई को अपने साथ आसाम ले गया। अजोरसिंह की दूसरी पत्नी बैसाखिनबाई अपने पुत्र लखन के साथ गांव में अकेली रहती थी। अजोरसिंह लम्बे समय तक वापस न आने से बैसाखिनबाई को हमेलसिंह ने चूड़ी पहनाकर पत्नी बना लिया। लखनसिंह को जाति रीति रिवाज अनुसार हमेलसिंह ने गोदपुत्र बना लिया। हमेलसिंह ने अपनी आय से बैसाखिनबाई और लखनसिंह के नाम से ग्राम पंडरीपत्थरा के विशालसिंह से ख.क. 49/6 रकबा 1.20 एकड़ तथा ख.क. 51/7 रकबा 13.15 एकड़ कुल किता 02, कुल रकबा 14.35 एकड़ भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 30.01.1981 द्वारा कय की।

7. अजोरसिंह के पुत्र सुखलाल का वादभूमि में कोई हक न होने के पश्चात् भी प्रति.क. 1, 2, 3 की चोरी से राजस्व अधिकारियों से मेलजोल कर बैसाखिनबाई की मृत्यु पश्चात् नाम दर्ज करा लिया। लखनसिंह का तथा वादीगण का वादभूमि पर कभी कोई कब्जा, हक नहीं रहा। बैसाखिनबाई विधवा हमेलसिंह के नाम राजस्व प्रलेखों में 7 एकड़ जमीन दर्ज थी। वह हमेलसिंह और बैसाखिनबाई का पुत्र नहीं है जानते हुए शामिल शरीक नाम दर्ज करा लिया। इसी बात का फायदा उठाते हुए नाज़ाएज़ दावा पेश किया है जो विधिविरुद्ध होकर अवैधानिक है। प्रतिदावा हेतु मूल्यांकन घोषणार्थ 1000/-रु. संशोधन क्रमांक 8 दिनांक 01.07.1997 को प्रभाव शून्य करने हेतु 1000/-रु., संशोधन क्रमांक 1 दिनांक 14.03.2003 को प्रभाव शून्य करने हेतु 1000/-रु. कुल 3000/-रु. पर 740/-रु. न्यायशुल्क पेश है, प्रतिदावा परिसीमा में है। प्रतिदावा स्वीकार किए जाने की याचना की है।

8. पेश अपील के आधार का सार यह है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर आयी दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं किया है, विधि-विरुद्ध तरीके से निर्णय आज्ञाप्ति पारित की है। वाद पैतृक संपत्ति के आधार पर घोषणा हेतु कब्जा प्राप्ति हेतु पेश किया गया था। तत्संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है। वादीगण और उनके साक्षियों ने बेईमानी की मानसिकता के कारण असत्य कथनों का सहारा लिया है। उभयपक्षों के मुख्य कथन पर ध्यान दिया है। वादप्रश्न क्रमांक 1, 2 को प्रमाणित मानकर त्रुटि की है। अन्य आधार अंतिम तर्क के समय बताएं जाएंगे, अपील स्वीकार पारित निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 30.08.16 अपास्त की जाकर प्रति.क. 1, 2, 3 के पक्ष में तथा वादीगण के विरुद्ध वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जावे। वाद संपत्ति कुल रकबा 1.254 हेक्टे. (3 एकड़) प्रतिवादीगण की स्वअर्जित संपत्ति होने से प्रतिवादीगण के हक में घोषणा की आज्ञाप्ति प्रदान की जावे। संशोधन दिनांक 01.07.1997 एवं संशोधन दिनांक 14.07.2003 प्रभावशून्य होकर प्रतिवादीगण पर बंधनकारी नहीं है कि घोषणा की आज्ञाप्ति प्रदान की जावे। वादीगण ने विधि विरुद्ध ढंग से राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करा लिया है, को विलोपित कर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किए जाने की घोषणा की जावे, अन्य अनुतोष जो उचित हो दिलाया जावे।

9. **अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-**

**क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने व्य.वा.क. 127ए/2016 जोहरीसिंह वगैरह बनाम लखनसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 30.08.2016 में तथ्य की, विधि की त्रुटि तथा साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि किए जाने से उक्त निर्णय एवं आज्ञाप्ति हस्तक्षेप योग्य है ?**

10. नोहरी (वा.सा.1), केसरसिंह (वा.सा.2), जोहरसिंह (वा.सा.3), विसाहू (वा.सा.4) के आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथनों के पश्चात् आमिर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर.2004 सु.को. 355 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुरूप न्यायालय द्वारा टीप अंकित न किए जाने से मुख्य कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में लखनसिंह (प्र.सा.1), हीरासिंह (प्र.सा.2), महारासिंह



के आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

11. नोहरी (वा.सा.1) ने न्यायालय के समक्ष शपथ पर पद क्रमांक 11 में साक्ष्य देकर पांचसाला खसरा की सत्यप्रति प्र.पी. 1, संशोधन पंजी क्रमांक 1/3 दिनांक 14.07.2003 की सत्यप्रति प्र.पी. 2, संशोधन पंजी क्रमांक 8 दिनांक 01.07.1997 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 3, भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्र. पी. 4 पेश करना साक्ष्य दी है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री आर.के. पाठक द्वारा दिए गए सुझावों को साक्षी ने इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 14 में स्वीकार किया है कि अजोरसिंह, हमेलसिंह की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु पश्चात जमीन को प्रतिवादीगण कमा रहे हैं। बैसाखिनबाई की मृत्यु 16 साल पूर्व हो चुकी है। यह स्वीकार किया है कि बैसाखिनबाई का नाम कटवाकर साक्षी के पिता ने 15-16 साल पहले अपना नाम चढ़ा लिया था। खरीदी हुई जमीन होने के कारण कुल कितना रकबा था साक्षी को जानकारी नहीं है। विवादित भूमि पर लखनसिंह का नाम दर्ज है।

12. केसरसिंह (वा.सा.2) ने प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री आर.के. पाठक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4, 5 में कथन किया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि बैसाखिनबाई और लखनसिंह के नाम से विवादित भूमि हमेलसिंह ने कय की थी। यह स्वीकार किया है कि खरीदी हुई भूमि पर खरीदने वाले व्यक्ति का नाम आता है। यह स्वीकार किया है कि सन् 1997 में बैसाखिनबाई के फौत होने के उपरांत सुखलाल और लखनसिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ था इसके पूर्व राजस्व रिकार्ड में सुखलाल का नाम नहीं आया था।

13. जोहरसिंह (वा.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विशाल सिंह के नाम पर ग्राम पंडरापत्थरा में ख.क. 49/6 रकबा 1.20 एकड़, ख.क. 51/7 रकबा 13.15 एकड़ कुल 14.35 एकड़ भूमि दर्ज थी। उक्त भूमि हमेलसिंह ने उसकी पत्नी बैसाखिनबाई और लखनसिंह के नाम खरीदा था। साक्षी ने इंकार किया है कि सुखलाल की माता का नाम सनियारूबाई है। स्वतः कहा कि बैसाखिनबाई है। लखन की माँ का नाम भी बैसाखिन है। दोनों की माँ का नाम बैसाखिन है। पद क्रमांक 5 में स्वीकार किया है कि बैसाखिन और लखन का नाम रजिस्ट्री के बाद राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुआ है।

सुखलाल का नाम राजस्व प्रलेखों में पहली बार 1997 में आया है उसके पूर्व उसका नाम वादभूमि पर नहीं था। यह स्वीकार किया है कि 1997 में सुखलाल ने सहमति के आधार पर नाम दर्ज कराया है। मुख्य परीक्षण में जो बातें बताई है वे वादीगण जोहरी और नौहरीसिंह के बताएनुसार बताई है।

14. विसाहू (वा.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में स्वीकार किया है कि वादी के पिता मृतक सुखलाल की भूमि है। साक्षी बैसाखिनबाई को जानता है। यह स्वीकार किया है कि खरीदी हुई भूमि पर खरीदने वाले व्यक्ति का नाम आता है। वर्ष 1997 में बैसाखिनबाई के फौत होने के उपरांत सुखलाल व लखन का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुआ था। यह स्वीकार किया है कि इसके पूर्व राजस्व रिकार्ड में सुखलाल का नाम नहीं आया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में स्वीकार किया है कि साक्षी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी गवाही का दस्तावेज पेश किया है और शपथपत्र में जो भी तथ्य लेख कराएं है वह वादीगण के बताएनुसार लेख कराएं है। यह स्वीकार किया है कि वादीगण साक्षी के दामाद होने के कारण न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। स्वतः कहा जमीन की नामजोक के समय वह था।

15. लखनसिंह (प्र.सा.1) ने न्यायालय के समक्ष मुख्य कथन के पद क्रमांक 8 में विक्रयपत्र दिनांक 04.02.1981 असल प्र.डी. 1, संशोधन पंजी क्रमांक 57/1973 की सत्यप्रति प्र.डी. 2, संशोधन क्रमांक 2 दिनांक 12.08.1991 की सत्यप्रति प्र.डी. 3, संशोधन पंजी क्रमांक 8 दिनांक 01.07.1997 की सत्यप्रति प्र.डी. 4, संशोधन पंजी क्रमांक 97 दिनांक 15.03.1981 की सत्यप्रति प्र.डी. 5 और संशोधन पंजी क्रमांक 1 दिनांक 14.07.2003 की सत्यप्रति प्र.डी. 6 पेश करना कथन किया है।

16. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 9 में कथन किया है कि वह 1997 में करीब 40 वर्ष का रहा होगा। यह स्वीकार किया है कि साक्षी स्वयं और सुखलाल आपस में भाई है। स्वतः कहा कि अलग अलग मां की संतान है। यह इंकार किया है कि साक्षी और सुखलाल बैसाखिनबाई की संतान है। स्वतः कहा सनियारूबाई सुखलाल की माँ थी जो अजोरसिंह उर्फ हमेरसिंह की पत्नी थी, के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं किया है। यह इंकार किया है कि बढई का एकमात्र पुत्र अजोरसिंह उर्फ हमेरसिंह था। स्वतः कहा कि अजोरसिंह और हमेरसिंह दो लडके है। पद क्रमांक 11 में स्वीकार किया है कि

अजोरसिंह और हमेरसिंह अलग अलग व्यक्ति होने के संबंध में कोई शासकीय दस्तावेज पेश नहीं किया है।

17. पद क्रमांक 12 में स्वीकार किया है कि शपथपत्र में क्या लिखा है वह नहीं बता सकता। शपथपत्र में वल्लिदयत में किसका नाम लिखा है वह नहीं बता सकता। साक्षी को हस्ताक्षर करने कहा गया तो उसने हस्ताक्षर किए थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 15 में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि कुल 14 एकड़ 35 डिसमिल है। यह स्वीकार किया है कि 7 एकड़ भूमि बैसाखिनबाई के नाम और 7.35 एकड़ भूमि साक्षी के नाम दर्ज है। दोनों अलग अलग कास्त करते थे। यह स्वीकार किया है कि सन 1997 में साक्षी बालिग हो गया था। बैसाखिनबाई की मृत्यु पश्चात भी पट्टा साक्षी के पास में है। पद क्रमांक 17 में इंकार किया है कि बैसाखिनबाई की मृत्यु के बाद साक्षी के भाई सुखलाल ने राजस्व अभिलेख में शामिल शरीक नाम दर्ज करवा लिया था। यह इंकार किया है कि 1997 से 2003 तक सुखलाल का नाम शामिल शरीक दर्ज रहा। यह इंकार किया है कि सुखलाल के पुत्र जोहरी और नोहरी का नाम खसरा क्रमांक 51/7 और 49/6 के राजस्व अभिलेख में दर्ज है। यह स्वीकार किया है कि पश्चिम में नोहर की जमीन है। पद क्रमांक 18 में यह जानकारी न होना साक्ष्य दी है कि बैसाखिनबाई की मृत्यु के बाद सुखलाल का नाम दर्ज हुआ था।

18. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 20 में स्वीकार किया है कि 2012 में वादीगण के नाम फौती दाखला होने के संशोधन के विरुद्ध कोई राजस्व अपील पेश नहीं की। वर्ष 1997 के आदेश दिनांक 01.07.1997 के विरुद्ध राजस्व न्यायालय में कोई अपील पेश नहीं की। अपील पेश न करने का कारण नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि नोहरी, जोहरी के नाम से जो भूमि दर्ज है, पर साक्षी का नाम दर्ज है। यह स्वीकार किया है कि साक्षी के नाम 10.35 एकड़ भूमि है जिसका वह मालिक है। यह स्वीकार किया है कि उसका 14 एकड़ भूमि पर कब्जा है। पद क्रमांक 21 में स्वीकार किया है कि उसने खानदानी वंशवृक्ष अपनी मर्जी से लिखाया है साक्षी को किसी ने नहीं बताया था। यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 2 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पद क्रमांक 22 लगायत 24 में किए गए प्रतिपरीक्षण पूर्व में आयी साक्ष्य की पुनरावृत्ति है इसलिए उसे लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

19. हीरासिंह परते (प्र.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में पक्षकारों के वंशवृक्ष के संबंध में और उनके रिश्तों के संबंध में दस्तावेज न देखना कथन किया है। सुखलाल और लखन भाई भाई है, की मां का नाम बैसाखिनबाई था जो फौत हो चुकी है। पद क्रमांक 7 में स्वीकार किया है कि महारिनबाई और बैसाखिनबाई के फौत होने की तारीख, माह, वर्ष एवं स्थान की जानकारी नहीं है। यह स्वीकार किया है कि सुखलाल के पिता का अजोरसिंह और माता का नाम सनियारूबाई रहा हो ऐसा शासकीय गैर-शासकीय दस्तावेज देखने में नहीं आया है। पद क्रमांक 8 में स्वीकार किया है कि वर्ष 1997 में बैसाखिनबाई फौत हुई थी तब फौती दाखला के दौरान पुत्र के रूप में सुखलाल ने अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाया था। यह स्वीकार किया है कि सन् 2003 में लखन और सुखलाल के बीच दो भागों में बंटवारा किया गया था। वर्ष 2012 में सुखलाल फौत हो गया है तब नोहरी और जोहरीसिंह का नाम दर्ज होकर चला आ रहा है। प्रतिवादी साक्षी महारासिंह ने प्रतिपरीक्षण हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वादी पक्ष को प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नहीं दिया है, इसलिए इस साक्षी के मुख्य कथन को लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

20. प्र.पी. 1 खसरा नकल वर्ष 2014-15 में वादग्रस्त संपत्ति पर जोहरी, नोहरी पिता सुखलाल का नाम दर्ज है। जो आदेश दिनांक 05.07.2012 के अनुसार दर्ज होना कॉलम नंबर 12 में लेख है। प्र.पी. 2 नामांतरण वर्ष 2002-03 के अनुसार सुखलाल, लखनसिंह पिता हमेलसिंह उर्फ अजोरसिंह की सहमति के आधार पर मौके पर अलग अलग कब्जा जोत के अनुसार अभिलेख दुरुस्थ किए जाने का आदेश ग्राम पंचायत सरपंच किया जाना दर्शित होता है अर्थात् अविवादित संशोधन है। वर्ष 1997 के संशोधन क्रमांक 8 दिनांक 01.07.1997 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 9 के अनुसार 7 एकड़ क्षेत्रफल पर बैसाखिनबाई पिता हमेरसिंह फौत होने से सुखलाल, लखनसिंह के नाम सर्वसम्मति से पास किया जाना ग्राम पंचायत द्वारा लेख किया गया है। सुखलाल पिता अजोरसिंह का नाम काटकर जोहरी पिता सुखलाल के नाम प्रविष्ट होने की पावती है।

21. प्र.डी. 1 विक्रयपत्र दिनांक 30.01.1981, पंजीयन दिनांक 01.02.1981 कीमती 3500/-रु. द्वारा खसरा क. 49/6 रकबा 1.20 एकड़, खसरा क. 51/7 रकबा 13.15 एकड़ कुल रकबा 14.35 एकड़ भूमि जमा 3/- असंचित एकफसली विशाल सिंह पिता सरवन सिंह जाति गोंड से



बैसाखिनबाई और लखनसिंह ने संयुक्त रूप से कय कर स्वत्व अर्जित कर कब्जा प्राप्त किया है यह तथ्य अविवादित है।

22. अभिलेख पर आयी साक्ष्य से स्पष्ट है कि बैसाखिनबाई और लखनसिंह के बीच भूमि का विभाजन हो गया था। विभाजन में बैसाखिनबाई को 7 एकड़ भूमि मिली थी। बैसाखिनबाई के सन् 1997 में फौत होने पर प्र.पी. 3 के संशोधन पंजी के अनुसार सुखलाल और लखनसिंह को वारसाना हक में बैसाखिनबाई के हक की 7 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त हुआ। सुखलाल, बैसाखिन का पुत्र नहीं था के संबंध में प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई ठोस/युक्तियुक्त प्रमाण अभिलेख पर पेश नहीं किया है। वादी पक्ष ने सुखलाल और लखनसिंह को बैसाखिनबाई की संतान होना लेख कर मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित किया है जिसकी पुष्टि प्र.डी. 3 के नामांतरण पंजी में उपस्थित हल्का पटवारी क्रमांक 38 और सरपंच व उपस्थित लोगों की सर्वसम्मति से, पारित आदेश से होती है।

23. प्र.डी. 3 के दस्तावेज के कॉलम नंबर 7 में बैसाखिनबाई विधवा हमेलसिंह और लखनसिंह पिता अजोरसिंह लेख होने से हमेलसिंह और अजोरसिंह दोनों अलग व्यक्ति होना प्रतीत होते हैं। प्र.डी. 1 के विक्रय विलेख में लखनसिंह के पिता का नाम अजोरसिंह न होकर हमेलसिंह दूषित रूप से लेख होना दर्शित होता है। लखनसिंह, बैसाखिनबाई की संतान होने के संबंध में पृथक् से कोई प्रमाण नहीं है, किंतु प्र.पी. 2 के नामांतरण पंजी में कॉलम नंबर 7 में सुखलाल, लखनसिंह पिता हमेलसिंह उर्फ अजोरसिंह लेख है। इसी कॉलम में सुखलाल पिता अजोरसिंह लेख है। तत्पश्चात् लखनसिंह पिता अजोरसिंह भी लेख है। इससे यह दर्शित होता है कि जो प्रतिवादपत्र में हमेलसिंह को निःसंतान फौत होना लेख है वह उचित है, किंतु अजोरसिंह की 2 पत्नियाँ होना प्रति.क्र. 1 ने प्रमाणित नहीं किया है और ग्राम पंचायत में अविवादित नामांतरण के रूप में बैसाखिनबाई की मृत्यु के पश्चात् सुखलाल का नाम दर्ज होने से सुखलाल और लखनसिंह सगे भाई होना अतिसंभाव्य है, इसलिए बैसाखिनबाई की मृत्यु पश्चात् बैसाखिनबाई के स्वत्व के 7 एकड़ भूमि पर लखनसिंह के साथ सुखलाल का नाम दर्ज होना स्वभाविक है। सुखलाल की मृत्यु के कारण वादी क्रमांक 1 जोहरीसिंह, वादी क्रमांक 2 नोहरीसिंह का वारसाना नामांतरण होना भी स्वभाविक है।

24. उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना और उभयपक्षों द्वारा किए गए तर्कों को गहनता से विचार में लेने के पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रतिदावा निरस्त करने में और वादीगण के पक्ष में डिक्री पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि होना अभिलेख पर दर्शित नहीं होता है, इसलिए आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 30.08.2016 में हस्तक्षेप किए जाने की विधिक आवश्यकता नहीं है।

25. अतः प्रस्तुत नियमित व्यवहार अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

{अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थीगण वहन करेंगे।

{ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

{स} तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

26. निर्णय की एक प्रति संबंधित न्यायालय की ओर मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर भेजी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेसन पर टंकित  
किया गया।

Sd/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

Sd/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

## DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35)

CIVIL APPEAL No. 15 OF 2017

IN THE COURT OF माखनलाल झाड़, द्वि.अपर जिला न्यायाधीश बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

- 1- लखनसिंह आयु 55 वर्ष पिता स्व. अंजोरीसिंह जाति गोंड
  - 2- सम्मलसिंह आयु 26 वर्ष पिता लखनसिंह जाति गोंड
  - 3- समलुसिंह आयु 23 वर्ष पिता लखनसिंह जाति गोंड
- सभी निवासी-ग्राम पंडरीपथरा तहसील बिरसा जिला बालाघाट - - - - - अपीलार्थीगण

-//// विरुद्ध ////-

- 1- जोरीसिंह आयु 32 वर्ष पिता स्व. सुखलाल जाति गोंड
  - 2- नोहरीसिंह आयु 30 वर्ष पिता स्व. सुखलाल जाति गोंड
- दोनों निवासी-ग्राम पंडरीपथरा तहसील बिरसा जिला बालाघाट
- 3- म0प्र0 शासन द्वारा :-  
कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)- - - - - उत्तरवादीगण

=====

Appeal from the decree of the Court व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर जिला बालाघाट dated the 30 day 08-2016 Civil Suit No.127A... of 2016.

This appeal coming on for hearing on the 05 day of July 2017 before me in the presence of-

श्री आर.के. पाठक अधिवक्ता. for the appellant and of  
श्री आर.आर. पटले अधिवक्ता for the respondent No. 1,2

It is ordered and decreed that -

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नियमित व्यवहार अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

- {अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थीगण वहन करेंगे।
- {ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।
- {स} तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees 212/- are to be Paid by the **Appellants.**

~~The cost of the original suit be paid by the~~

Given under my hand and the seal of the Court, this **06 day of July. 2017.**

Sd/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

### COSTS OF APPEAL

	Appellant	Amount	Respondent	Amount
1.	Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions	750.00	-	
2.	Stamp for Power	10.00	Stamp for Power	10.00
3.	Stamp for Exhibits	-	Stamp for Petition	-
4.	Service of Processes	15.00	Service of Processes	-
5.	Pleader's Fee on Rs..... (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	202.00	Pleader's fee on Rs. .... (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	202.00
6.	Court Fee on Interim App. & Affidavit.	10.00	Court Fee on Interim App. & Affidavit.	-
7.	Translation Fee	-		
	<b>Total :-</b>	987.00	<b>Total :-</b>	212
( नौ सौ सत्यासी रु. सिर्फ )			( दो सौ बारह रु. सिर्फ )	

Sd/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर